न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 94/2017
प्रविष्टि दिनांक 26–10–2017

कन्या पत्नि रामलाल गूर्जर निवासी ईसरदा तह0 व जिला टोंक

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंकदिनांक 25–9–2017

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 9–12–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोक ने अपने निर्णय दिनांक 25–9–2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा तह0 टोंक में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण कर बाड़ा बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 235 पर अतिकमी नहीं है बल्कि अपीलान्ट की खुद की खातेदारी खसरा नम्बर 214 में मकान बना हुआ है तथा 215 भी अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से [illegible] अपीलान्ट का खसरा नम्बर 235 पर कब्जा या अतिकगमण नहीं है तहसीलदार [illegible] निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस नहीं दिया है ओर [illegible] अपीलान्ट को [illegible] सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। हल्का पटवारी [illegible] नहीं दिया [illegible] है। अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा में [illegible] है, जिससे न्याय [illegible] तिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सिद्वान्त की अवहेल्ना हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दोषपूर्ण है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर खसरा नम्बर 235 में रास्ता यथावत मोजूद हे तथा ग्रेवल सड़क बनी हुई है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व उक्त भूमि पर कब्जा गलत बताया है अपीलान्ट का पश्चातवर्ती कब्जा साबित नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 25–9–2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरूद्व की गई कार्यवाही समाप्त की जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुअ हे जिस कारण अतिक्रमी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा तह0 टोंक में गैर मुमकिन रास्ते पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त की है। इससे पूर्व भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया था जिसे पत्रावली सं0 1409 से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती है ओर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रगमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा तह0 टोंक में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण कर बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1409 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोकं का निर्णय दिनांक 25–9–2017 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested